सत्यमेव जयते

खंड ६ संख्या १

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी रिपोर्ट

(भाग २—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर रहित)

सोमवार, तिथि १४ सितम्बर १९५९

Vol. VI No. 1

The Bihar Legislative Assembly Debates

Official Report

(Part II—Proceedings other than Questions and Answers)

Monday, the 14th September, 1959

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार
पटना, द्वारा मुद्रित
१९६०

[मूल्य—३७ नये पैसे ।]
[*Price—37 Naye Paise.*]

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

खंड १ प्रवर समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

'प्रस्तावना' प्रवर समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

'प्रस्तावना' इस विधेयक का अंग बनी।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

'नाम' प्रवर समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

'नाम' विधेयक का अंग बना।

श्री विनोदानन्द झा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन (बिहार अमेंडमेंट) बिल, १९५८, प्रवर समिति द्वारा यथा-प्रतिवेदित, स्वीकृत हो।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन (बिहार अमेंडमेंट) बिल, १९५८, प्रवर समिति द्वारा यथा-प्रतिवेदित, स्वीकृत हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लैंड एक्वीजीशन (बिहार अमेंडमेंट) बिल, १९५९ (१९५९ की वि० सं० १०)।

THE LAND ACQUISITION (BIHAR AMENDMENT) BILL, 1959 [L.A. BILL NO. 10 OF 1959].

श्री विनोदानन्द झा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

लैंड एक्वीजीशन (बिहार अमेंडमेंट) बिल, १९५९ को एक प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन तिथि ३१ मार्च, १९६० तक दें।

इस विधेयक के संबंध में इतना ही कहना है कि १८९४ साल में मूल लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट सारी जमीन को एक्वायर करने के संबंध में बना था। १९५१ में एक बार और १९५६ में दो बार इस ऐक्ट में संशोधन किये गये। पीछे चलकर

उसमें एक वैधानिक त्रुटि रह गई। वह यह है कि यहां से जो तीनों बिल पास हुए उसे गवर्नर की स्वीकृति से कानून का रूप दिया गया। लेकिन हमारे लॉ डिपार्टमेंट की ऐडवाइस है कि चूंकि सम्पत्ति अर्जन करने की बात है और कम्पेन्सेशन देने की व्यवस्था की गई है इसलिए आर्टिकल ३१ के मुताबिक प्रेसिडेन्ट की स्वीकृति के लिए इसे रिजर्व्ड रहना चाहिए था और वाद-विवाद में यह तय हुआ कि सदन के सामने फिर से यह तीनों बिल एक जगह एकत्रित करके स्वीकृति के लिए रखे जायें और इसके बाद प्रेसिडेन्ट की स्वीकृति के लिए रिजर्व्ड कर दिया जाय। इसलिए इसमें कोई चेन्ज नहीं हुआ है जो विधेयक आप लोग स्वीकार कर चुके हैं उन्हीं की यह अक्षरशः नकल है। सिर्फ एक सेक्शन आखिर में है जो वैलिडेटिंग है ताकि इस बीच में जो कार्रवाई हो गई है उसे जायज किया जाय। इसीलिए मैं चाहता हूं कि यह बिल प्रवर समिति में जाय ताकि वहां वैलिडेशन की छानबीन हो और यदि कोई भाई भूमि-अर्जन की नीति को सिम्पलीफाई करना चाहें या कुछ उसमें परिवर्तन लाना चाहें तो ऐसा करने का मौका उन्हें मिले। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय और ३१ मार्च, १९६० तक प्रतिवेदिन देने का आदेश दिया जाय।

श्री रामाशीश सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लैंड एक्वीजीशन

(बिहार अमेंडमेंट) बिल, १९५९ तिथि १५ जुलाई १९६० तक जनमत जानने के लिए परिचारित हो।

अध्यक्ष महोदय, पब्लिक की भलाई के नाम पर लोगों की जमीन तो ले ली जाती है लेकिन पैसा पाने में लोगों को बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती है और बड़ी मुसीबतों का उन्हें सामना करना पड़ता है। जिनकी जमीन ली जाती है उनकी परेशानियों को देखते हुए और जो खामियां हैं उनको देखते हुए मैं चाहाता हूँ कि इस बिल को पब्लिक के सामने जनमत के लिए भेजा जाए।

श्री कपिल देव सिंह—अध्यक्ष महोदय लैंड एक्वीजीशन (बिहार अमेंडमेंट) बिल,

---

१९५९ के बारे में श्री रामाशीश सिंह ने जनमत के लिए परिचारित करने का जो प्रस्ताव उपस्थित किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय लैंड एक्वीजीशन बिल के विषय में जैसा कि राजस्व मंत्री ने सदन में उपस्थित करते हुए कहा है कि प्रवर समिति में भेजेंगे और वे क्यों ऐसा कर रहे हैं क्या कठिनाइयां उनके सामने हैं इनका भी जिक्र उन्होंने किया है।

अध्यक्ष महोदय १८९४ ई० का यह कानून बना हुआ है और उसके बाद तीन बार इसमें संशोधन किया गया है। लेकिन संशोधन के बाद भी कंस्टिट्यूशन के आर्टिकिल ३१ के क्लॉज ३ के अनुसार इसमें डिफेक्ट्स रह जाता है वह यह कि किसी की प्राइवेट प्रोपर्टी यदि हम लेते हैं तो उसको मुआवजा भी हम देंगे अतः इसके लिए जो कानून बनायेंगे उसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी है। यही कानूनी अड़चन माननीय मंत्री के सामने आयी है और इसीलिए तीनों अमेंडिंग बिल को एक साथ करके नये बिल की शकल में सदन में उन्होंने पेश किया है। मैं इसकी कानूनी बारीकी की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना नहीं चाहता और चाहता हूं कि विशेषज्ञ लोग इसके संबंध में बतलायें लेकिन लैंड एक्वीजीशन के जरिए जो काम होता है उसमें हमें ऐसा लगता है कि हम सरकार को सारी बातों की जानकारी करा दें तो अच्छा है ताकि प्रवर समिति में यह बिल जाय तो ये बातें उनके सामने रहें और जनमत के लिए भी भेजें तो भी उन्हें सुविधा हो।

अध्यक्ष महोदय किसी भी वेलफेयर स्टेट में या किसी भी जन-कल्याण की व्यवस्था में सरकार को अधिकार देना चाहिए कि जन-कल्याण के लिए किसी की सम्पत्ति ली जाय और जन-कल्याण का काम किया जा सके। यही सोचकर जितने कानून बनाये गये और जहां कहीं भी पब्लिक युटिलिटी और आम हित के लिए काम करने में कोई चीज वाधक हुई तो मैंने उसकी पर्वाह नहीं करके समाज के हित को सामने रखते हुए काम करना चाहा। इसलिए जो भी अमेंडमेंट्स आते रहे वे पास किए गए। लेकिन जिसकी जमीन हम लेते हैं उसको वाजिब दाम लेने में छट्टी का दूध याद आ जाता है। अगर कोई चलता-पुर्जा रहा तो कुछ पैसे हासिल कर लेता है लेकिन लैंड ऐक्वीजीशन डिपार्टमेंट सुरसा की तरह मुंह फैला कर बैठा हुआ है जिसकी जमीन चाहे वह ले ले और जब चाहे ले ले और दाम की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता है।

मिसाल के लिए मैं यह बतलाऊं कि बढ़हिया होकर पटना-मुंगेर जो सड़क गई है उसको चौड़ा करने में और पीच करने में बढ़हिया से लेकर इन्दुपुर सूर्यगढ़ा थाने के करीब पचासो बीघे जमीन लैंड एक्वीजीशन के अनुसार हासिल की गई है। इसके लिए नोटिफिकेशन हुआ लोगों ने ऑबजेक्शन पेश किया लेकिन कहीं एक वर्ष कहीं ७ वर्ष, कहीं ११ वर्ष हो गये किसी को भी जमीन की कीमत नहीं दी गई है और मुंगेर दौड़ते-दौड़ते लोग परेशान हो रहे हैं।

एसेम्बली में सवाल किया, राजस्व मंत्री को लिखा। मुंगेर के कलक्टर को लिखकर दिया। मीटिंग में कहा कि जिसकी जमीन लेते हैं उसे पैसा तो दिलवा दें। राजस्व मंत्री का जवाब हुआ कि कीमत तो जिस डिपार्टमेंट का काम होता है उस डिपार्टमेंट से मिलता है। उदाहरण के लिए मान लिया जाय कि पी० डब्लू० डी० से रोड के लिए जमीन ली गई तो पी० डब्लू० डी० से रुपया ले लेगा। राजस्व विभाग और वहां से जिसकी जमीन ली गई है उसे कीमत दी जायगी। इस आधार पर जब मैंने राजस्व विभाग से पूछा तो मालूम हुआ कि जल्दी-ही कर रहे हैं। जल्दी-ही कीमत मिल जायगी लेकिन दो वर्ष हो गए आजतक पैसा नहीं मिला। मुंगेर के कलक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां स्टाफ की कमी है और स्टाफ के लिए लिखा है, स्टाफ बढ़ जाने से जल्द ही पैसा दे देंगे। जमीन लेने के लिए आदमी इनके पास हैं जिस डिपार्टमेंट का काम होता है उससे रुपया वसूलने के लिए इनके पास आदमी है लेकिन गरीब किसान को जिसकी जमीन ली गई है दाम देने के लिए इनके पास स्टाफ नहीं है, उन्हें ये रुपया तुरत नहीं दे सकते हैं। वहां लोगों से ऐसी जमीन ली गई है जहां पर आलू और फुलकोबी पैदा करते थे। लोगों के पास दस कट्ठा और १५ कट्ठा जमीन थी जिससे लोग अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। आज कीमत नहीं मिलने के कारण और जमीन नहीं रहने के कारण लोग घर छोड़-छोड़ कर कोयला खान की तरफ और कलकत्ते की तरफ चले जा रहे हैं।

इसके बाद दूसरी बात है कि यदि किसी जमीन की कीमत ५०० रुपए होती है तो २०० रुपया तो लोगों की खातिरदारी में ही लग जाता है और दौड़-धूप में जो लगता है वह अलग। डिपार्टमेंट में यदि कोई आदमी पैरवी न करे, उसे छोड़ दे तो वहां तो इनका कागज कछुआ के चाल से चलने लगता है लेकिन कहीं दर्खास्त देने वक्त उसमें एक-दो रुपया लगा दिया तो वह कागज हवाई जहाज की तरह चलने लगता है। पैसा नहीं देने से वह कागज तीन-तीन वर्ष तक किरानियों के यहां पड़ा रहता है।

अध्यक्ष—इस तरह के बहुत से प्रश्न विधान-सभा में आते हैं जिसमें जवाब दिया जाता है कि जल्दी दे देने की कोशिश करेंगे और सरकार इसे कबूल भी करती है।

श्री विनोदानन्द झा—हमलोग काम करते हैं और करेंगे कभी स्पीड कम नहीं होगा। पर दिक्कत तो रहेगी ही कुछ दिनों तक।

श्री कपिलदेव सिंह—किऊल नहर के लिए जमीन ली गई है ....।

अध्यक्ष—आपके कहने का मतलब है कि स्पीडी पेमेंट का तरीका निकाला जाय और वाजिब कीमत मिले ?

श्री कपिलदेव सिंह—जी हां।

अध्यक्ष—स्पीडी पेमेंट के लिए कह सकते हैं लेकिन वाजिब कीमत के लिए तो कानून है। कम कीमत मिलने से लोग डिस्ट्रिक्ट जज के यहां जा सकते हैं।

श्री कपिलदेव सिंह—वह सब के लिए नहीं है इसलिए कह रहा हूं। सभी लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं।

गंगा प्रोजेक्ट के लिए जमीन ली गई मोकामा में। वहां जो अच्छी जमीन नहीं थी उस जमीन को लेकर काफी जमीन दी गई जिसकी अच्छी जमीन थी उसको कुछ ज्यादा रुपए मिले जिस जमीन की उर्वरा शक्ति कम भी उसकी थी कहीं-कहीं ज्यादा कीमत दी गई इस ग्राउन्ड पर कि वे लोग बेघर के हो रहे हैं।

श्री विनोदानन्द झा—दोनों का एक ही रेट है।

श्री कपिलदेव सिंह—गंगा प्रोजेक्ट के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जमीन ली गई है और जल्द ही उनलोगों को रुपया मिला है।

Shri RAMCHARITRA SINHA : The statement is incorrect. The Government of India never acquires land. Acquisition is done by the State Government. They appoint officers and the Land Acquisition Officers hold court. Acquisition of land is done by the State Government Officers.

श्री विनोदानन्द झा—इसमें सिर्फ इतना ही होता है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के लिए जमीन एक्वायर करने में हमलोगों को कुछ पैसा मिलता है। इसके अलावे एक्वायर करने का प्रिंसिपुल और प्रोसिज्योर आदि वही है। हमारे ही ऑफिसर एक्वायर करते हैं सब जगह। वहां ८५ लाख रुपया कम्पेन्सेशन का हुआ था जिसमें ८२ लाख रुपयों का पेमेंट हो चुका है सिर्फ ३ लाख रुपए बाकी हैं वे भी इसलिए हैं कि १ लाख २० हजार जिनका है उनके एड्रेस में दिक्कत हो रही है और दो लाख का सिविल कोर्ट में अवार्ड है।

श्री कपिलदेव सिंह—मुझमें और सरकार के जवाब में कोई ज्यादा फर्क नहीं है।

ये भी कहते हैं कि इनके ही ऑफिसर वहां भी काम करते हैं लेकिन सेन्ट्रल गवर्नमेंट की सख्ती रहने से इनके ऑफिसर तेज काम करते हैं और इनके संकेत से धीरे-धीरे काम करते हैं। इनका खुद कहना है कि ८५ लाख में से ८२ लाख पेमेंट हो गया पर इन्होंने फिऊल में जमीन ली है आज दस-ग्यारह वर्ष हो रहे हैं आजतक रुपए नहीं मिले। इससे तो साफ मालूम होता है कि आपका काम होता है तो लोग काम को छोड़ देते हैं और वही काम जब सेन्ट्रल गवर्नमेंट का होता है तो वही लोग तेज हो जाते हैं।

दूसरा उदाहरण रख रहा हूं कि मोकामा में ब्रिटानिया वैगन फैक्ट्री खुलने की बात थी प्राइवेट कनसर्न की। केन्द्रीय सरकार ने तीन जगह इस तरह के फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी, एक राजस्थान में, दूसरा दक्षिण डेकान में और तीसरा बिहार में। दो जगह १६५७ से ही प्रोडक्शन होना शुरू हो गया है लेकिन हमारे बिहार में लैंड एक्वीजीशन में ही विलम्ब हो रहा है। अभी तक यहां काम नहीं शुरू किया गया है। इसीलिए कहता हूं कि आपके ऑफिसर काम करते हैं कम जब आपका काम होता है पर जब सेन्ट्रल का काम होता है तो वे लोग तेज हो जाते हैं। प्राइवेट कनसर्न की चीज थी फिर भी इससे काफी लोगों को इम्पलायमेंट मिलता। राज्य-कोष में भी कुछ आमदनी बढ़ती लेकिन काम इतना धीमे-धीमे चल रहा है कि जमीन लेते हैं तो लोगों को रुपया नहीं देते हैं। पैसा देने के सिलसिले में फाइल धीमे-धीमे चल रही है। मैं समझता हूं कि इसे जनमत के लिए भेजा जाय तो ज्यादा अच्छा हो। ऐसा होने से लोगों को मालूम हो जायगा कि क्या दिक्कत है, क्या अड़चन है।

लैंड एक्वीजीशन के प्रिंसिपुल से हमको कोई मतभेद नहीं है लेकिन जिसकी जमीन ली जाती है उसको कीमत जल्द और वाजिब मिलनी चाहिए। हमलोगों की तृतीय पंचवर्षीय योजना शुरू होनेवाली है, उसके लिए जमीन लेनी पड़ेगी, वेलफेयर का काम करना है, उसके लिए जमीन लेनी पड़ेगी, पब्लिक युटीलिटी का काम करना है उसके लिए जमीन लेनी पड़ेगी, बहुत सी स्कीमों के लिए जमीन का प्रबन्ध करना पड़ेगा, इसलिए इसे जनमत के लिये भेजना बहुत जरूरी हो जाता है। फिऊल नदी से फिऊल ब्रिज तक जो अप्रोच रोड बनाना था उसको रोक दिया गया है। उस गांव के लोगों ने रोक दिया और कहा कि दाम रखिये नहीं तो नहीं काटने देंगे, इसमें डेढ़ साल बीत गया। गंगा पर जो पुल बना है उस पर बैलगाड़ी और मोटर चलने के लिये जो रोड बना है उसकी कीमत भी अभी तक तय नहीं हुई है। मैं राजस्व मंत्री से कहूंगा कि लैंड एक्वीजीशन के सिद्धांत से मेरा कोई मतभेद नहीं है। वेलफेयर के लिये जमीन दी जा सकती है और लेनी भी चाहिये लेकिन जिसकी जमीन लेते हैं उसको जल्द-से-जल्द पैसा देने का इन्तजाम भी रहना चाहिये। इस काम में शिथिलता नहीं आनी चाहिये और मुस्तैदी से काम होना चाहिये। इन्हीं सुधारों के साथ मैं श्री रामाशीष जी के जनमत जानने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इस पर अच्छे ढंग से विचार करेगी और इस बिल को कानून का रूप देने के पहले हर पहलू पर विचार करेगी।

*श्री सभापति सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामाशीश जी के प्रस्ताव का समर्थन

करना चाहता हूं। कहा गया है कि इस तरह के सवाल सदन में आते रहते हैं और सरकार उनका जवाब देती रहती है। लेकिन लेने में जितनी धांधली होती है वह

पूरे बिहार में एक-सा नहीं है। लैंड ऐक्वीजीशन विभाग हर प्रकार का बंगलिंग करके किसानों को तंग करती है। मरहौढ़ा सीवान रोड बन रहा है और १९५५ से काम हो रहा है लेकिन किसानों को जमीन का पैसा नहीं दिया गया है। जब जमीन ली जाती है तब सरकार की तरफ से एक तिथि निश्चित की जाती है और उस समय तक उजूदारी ली जाती है इसी प्रकार सरकार के लिये भी एक प्रतिबंध रहना चाहिये कि फलां तिथि तक किसानों को जमीन का पैसा मिल जाना चाहिये। ऐसा नहीं करने से सरकार इस बिल के अनुसार लोगों की जमीन छीन लेगी और पैसा नहीं देगी। बसन्तपुर बाजार में जिस जमीन की कीमत ४,००० रू० प्रति एकड़ थी उसे लैंड ऐक्वीजीशन विभाग ने केवल १,२०० रु० लगा दिया।

अध्यक्ष—जिला जज के यहां जाइये।

श्री सभापति सिंह—गरीबों के पास पैसा नहीं है।

अध्यक्ष—आप दुहरावें नहीं।

*श्री कर्पूरी ठाकुर—अध्यक्ष महोदय, कानून का हथियार विधान सभा-सरकार को देती है लेकिन इस कानून के मुताबिक जिस ढंग का काम जनहित में होना चाहिये हम उसका अभाव पाते हैं। अभी जो मौजूदा बिल पेश है, इसकी जो मंशा है, अबतक इसका जो उपयोग होता रहा है उसको दिखाने के लिये मैं ३, ४ उदाहरण देना चाहता हूं।

शाहपुर थाने में शाहपुर ऊंडी एक गांव है, वहीं सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म के लिये जमीन ली गई लेकिन मुआवजा देने में बहुत धांधली हुई है। जमीन में बगीचा था, गरीबों के कुछ पेड़ थे लेकिन लैंड ऐक्वीजीशन ऑफिसर ने उस बगीचा से सटे एक लखपति आदमी से हजारों रुपया घूस लेकर सारे बगीचा का मुआवजा उसे ही दिला दिया। मैंने इसका विरोध किया और चिट्ठी लिखी तब कलक्टर इसकी जांच के लिये गये। इन्होंने रिपोर्ट दी कि गरीबों को, जिनके पेड़ थे उनको मुआवजा मिलना चाहिये। उसी तरह से १९५४-५५ में समस्तीपुर थाने के अन्दर टियुब-वेल की नालियां बन रही थीं। तीन गांव में नालियां बनीं, हरपुर, सिंगिया आदि में, लेकिन आज तक एक छदाम भी नहीं मिला। बागमती और बूढ़ी गंडक जो वारिसगंज थाने में है इसके पूरबी तरफ जो काम बांध का हुआ है उसमें आज तक पेमेंट नहीं हुआ है, चार साल बीत गये।

अध्यक्ष—सेलेक्ट कमिटी में जब यह आये तो पेमेंट के लिये कोई दूसरा प्रोवीजन आप करते।

श्री कर्पूरी ठाकुर—जिस तरह श्री कपिलदेव सिंह, श्री रामशीश सिंह, श्री सभापति सिंह आदि सदस्यों ने जो राय प्रगट की है कि इस बिल में इसके लिये बहुत बड़ी कमी है कि किस तरह पेमेंट को एक्सपेडाइट किया जाय और किसानों को नुकसान न हो। मेरे गांव में रेलवे स्टेशन के लिये जमीन ली गई, आप जानते ही हैं कि मेरे पास दो-तीन बीघा जमीन है, उससे करीब दो-तीन कट्ठ जमीन ले ली गई और

मुआवजा मिला सिर्फ ५ धूर का। हमारे घर वालों ने इसके लिये दरखास्त दी लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस तरह की अराजकता फैल जाये और अथौरिटी जो चाहे करे यह ठीक नहीं है। इसलिये पेमेंट को एक्सपेडाइट करने के लिये इसमें स्पेसिफिक प्रोविजन होना चाहिये ताकि जो जमीन ली जाय पेमेंट जल्द हो जाय।

श्री हरिचरण सोय—अध्यक्ष महोदय, इस कथन में दो राय नहीं हो सकती है कि कम्पेन्सेशन देने में बहुत देर होती है। जब हम संशोधन इसमें लाने जा रहे हैं तो ऐसा प्रोविजन दे सकते है कि कम्पेसेशन देने में जल्दी की जाय। इसलिये हमारा सुझाव है कि इतने बड़े पैमाने में जमीन ली जाती है तो इसका कम्पेनसेशन देने के लिये इस बिल में क्या संशोधन लाया जाय जिससे जल्द-से-जल्द लोगों को रुपया मिल जाये।

अध्यक्ष—यह बिल तो सेलेक्ट कमिटी में जाने वाला ही है उसमें जैसा संशोधन चाहेंगे वैसा करेंगे।

श्री हरिचरण सोय—सिर्फ सेलेक्ट कमिटी में नहीं भेज कर पहले यह किया जाय कि जिन लोगों पर यह एफेक्ट करता है उनको यह मौका दिया जाय कि वे अपनी राय इस पर जाहिर करें। जमीन लेने के पहले एक टाइम जिसकी लिमिट कर दिया जाय, तीन चार वर्षों का समय दिया जाय कि इसके भीतर म रुपया दे देंगे और जिसकी हम जमीन ली गयी है उन लोगों को इन्टरमिडिअरी कम्पेन्सेशन का एक बटा तीन या एक बटा दो मुआवजा तुरत मिल जाना चाहिये।

दूसरी चीज यह है कि जो जमीन अर्जन की जाती है उसमें लैंड ऐक्वीजिशन डिपार्टमेंट यह नहीं देखता है कि रैयत की कितनी जमीन ली जाती है, अक्सर ऐसा होता है कि सारी-की-सारी जमीन चली जाती है। और जो किसान थे वे बिल्कुल मजदूर में बदल जाते हैं।

अध्यक्ष—मैं राजस्व मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि जितनी जमीन डिपार्टमेंट रिक्वियूजिशन करेगा उसमें कम-बेश नहीं कर सकते हैं ?

श्री विनोदानन्द झा—रिक्वायरिंग थौरिटी जो कहती है और जो इस संबंध में डिटेल भेजती है उसी के अनुसार हम काम करते हैं। अगर कोई डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेशन देता है तौभी हम उसे रिक्व रिंग थौरिटी के पास भेज देते हैं।

श्री हरिचरण सोय—यह बात सही है कि लैंड ऐक्वीजीशन डिपार्टमेंट को देखना नहीं है कि जमीन किनकी कितनी ली जा रही है लेकिन ऐसा हुआ है कि किसानों की सारी-की सारी जमीन चली गई है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में इस बिल में कुछ प्रोविजन करती।

अध्यक्ष—जो दरखास्त आती है वे सभी पेमेंट डिपार्टमेंट को भेज दी जाती हैं।

श्री हरिचरण सोय—इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि कोई प्रोविजन इस बिल में किया जाता जिससे इस तरह की कठिनाई लोगों को न हो सके।

अध्यक्ष—यह कैसे होगा कि हम दाम देते हैं और हमारी राय से जमीन न मिल कर लैंड ऐक्वीजीशन डिपार्टमेंट की राय से जमीन ली जायेगी ?

श्री हरिचरण सोय—जब वेलफेयर स्टेट है तो ऐसा करना कहां तक उचित होगा कि किसानों की जमीन लेकर मजदूर बना दें ? उदाहरण के लिये मैं बताना चाहता हूं कि सरायकेला इलाके में एक डेयरी फार्म के लिये जमीन ली जाने लगी। यह अच्छी चीज है लेकिन इसके लिये आधे-से अधिक रैयतों की सारी-की सारी जमीन ले ली गई। जब इसके लिये कहा गया है तो अथौरिटी ने कहा कि खुद जमीन बताओ जो ली जा सके। रैयत कहां से बताये ? इसलिये लैंड एक्वीजीशन बिल में जो संशोधन हो रहा है इसको जनता के सामने रखें। इसलिये इसको जनमत के लिए परिचारित करने का जो प्रस्ताव है उसका समर्थन करता हूं।

*श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—अध्यक्ष महोदय, मैं तो इस बिल पर बोलना नहीं चाहता था लेकिन देखता हूं कि कुछ बोलना आवश्यक है और वह यह है कि जैसे माननीय राजस्व मंत्री ने कहा कि मेरा तो काम है सिर्फ जमीन का अर्जन कर देना और किस तरह की जमीन, कैसी जमीन मिलनी चाहिये इसके संबंध में उनको कुछ नहीं सोचना है। लेकिन साथ-ही-साथ उस डिपार्टमेंट को भी किस तरह की जमीन चाहिये यह किस कानून में लिखा हुआ है ? राजस्व मंत्री भी आंख मूंद कर जमीन एक्वायर करा लेते हैं। जब लैंड ऐक्वीजीशन के लिये ऐक्ट बनने जा रहा है उसमें अगर इस बात की भी गुंजाइश हो कि जमीन के लेने में जैसा कि सोय साहब ने अपना विचार प्रगट किया है इसपर भी विचार किया जाय कि किस वर्ग की जमीन ली जानी चाहिये और लोग बेजमीन न हो जायं इसके लिये भी गुन्जाइश होनी चाहिये। जो डिपार्टमेंट जमीन लेती है वह गरीब रैयतों का ख्याल नहीं करती है। तो इसका नतीजा यह होता है कि जो रैयत लैंड एक्वीजीशन विभाग या कलक्टर के यहां अपनी फरियाद लेकर जाता है तो वहां उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि उनकी बातों की सुनवाई हो, उसके लिए उनका दरवाजा खुला रहना चाहिये, इसके लिए इस ऐक्ट में प्रोविजन रहना चाहिये। और यह भी होना चाहिये कि गरीब रैयतों की जमीन लैंड ऐक्वीजीशन विभाग नहीं ले। मैं उदाहरण के लिए एक मिसाल अपने इलाके का आपसे कहता हूं कि इचाक के इलाके में सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म के लिये एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट ने जमीन एक्वायर करने के लिए नोटिस दी। उसमें एक अजीब सी बात यह हुई कि जो बड़े बड़े और अमीर किसान थे उनकी जमीन न लेकर प्रायः गरीब किसानों की ही जमीन लेने की बात थी। उसके खिलाफ लोगों ने लैंड ऐक्वीजीशन विभाग में और कलक्टर के पास दरखास्तें कीं लेकिन वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब लाचार होकर एक एम० एल० ए० ने उसके बारे में सरकार को एप्रोच किया और मैं श्री वीरचन्द पटेल साहब को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी बातें सुन ली। तो अध्यक्ष महोदय, एक गरीब किसान के लिए यह संभव नहीं है कि वह सरकार के यहां पहुंच पाये।

अध्यक्ष—प्रौपर अथोरिटी के पास तो पहुंचना ही होगा।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—इसीलिए मैं यह कहता हूं कि इस ऐक्ट में इस तरह का प्रोविजन रहना चाहिये कि जिसमें हर किसी के लिए चाहे वह अमीर हो या गरीब

हो सब के लिए एक समान रास्ता रहे। सोशलिस्टक पैटर्न ऑफ सोसाईटी का भी यही मतलब है कि सब किसी को समान मौका मिले। एक गरीब किसान, अध्यक्ष महोदय, कैसे सरकार के यहां या मंत्री महोदय के पास जा सकता है। उसकी पहुंच वहां तक नहीं हो सकती।

अध्यक्ष—लैंड एक्वायर करने के लिए नोटिफिकेशन कौन करता है।

श्री विनोदानन्द झा—नोटिफिकेशन हमारे यहां से होता है। इसका तरीका यह है कि जिस विभाग को भूमि-अर्जन कराने की जरूरत होती है वह अपनी स्कीम हमारे यहां देते हैं तो उसमें इस बात की जांच की जाती है कि किस परपस के लिए जमीन एक्वायर कराना चाहते हैं। अगर यह समझा जाता है कि उस काम के लिए वह जमीन सूटेब्ल होगा तभी उसके ऐक्वीजिशन के लिए नोटिफिकेशन की जाती है। हाल में सिंहभूमि में सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म के लिए जमीन एक्वायर करना था। चूंकि वहां एक्वायर करना ठीक नहीं समझा गया इसलिए उसको रिवाईज करने का आदेश दे दिया गया

Shri RAMCHARITRA SINHA : I think the proposition is impracticable. Suppose there is a proposal to construct a Bundh and for that Government must acquire land. If only rich men's land be taken and poor men's land is left out it cannot be a practical proposition.

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—मैं यह कहता हूं कि जब सरकार लैंड ऐक्वीजीशन कराती है तो उसी कानून के अन्दर यह भी गुंजाइश रहना चाहिये कि जो ऑब्जेक्शन पड़े उसकी जांच की जाय और पूरी सुनवाई हो। मैं समझता हूं कि ऐसा करना इस बिल के स्कोप के अन्दर की बात है। अगर दूसरा कोई कानून लैंड ऐक्वीजिशन का रहता तो उसमें उसकी गुंजाइश वहां का [illegible] सकती थी। इसलिए मैं कहता हूं कि यह अत्यावश्यक है कि कहीं रिप्रेजेंटेशन के लिए दरवाजा रहे जहां एक गरीब किसान का भी एप्रोच हो सके।

दूसरी एक और बात यह है कि इमजेंसी के वक्त १५ दिन के अन्दर जमीन ले लेने का प्रबन्ध है। तो उसमें यह जरूरी है कि उनलोगों का पेमेन्ट एक्सपेडाइट किया जाय इसका भी कोई उपाय जरूर रहना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि १५ दिनों के अन्दर ही पेमेंट किया जाय। लेकिन यह जरूर कहता हूं कि गरीब लोगों को जिसमें हार्डशिप नहीं हो इसके लिए पेमेंट एक्सपेडाइट कराना चाहिये।

इनके आदमी गांव में जाते हैं लोग अधिकतर अनपढ़ रहते हैं। उनको मालूम नहीं रहता है कि किसकी जमीन नापी जायगी वे घबड़ा जाते हैं और इधर-उधर लोगों से पूछने लगते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि आप जो गजट में नोटिफिकेशन करते हैं वह ग्राम पंचायतों में और ब्लौक में करवा दें ताकि देहाती जनता को मालूम हो जाय कि किसकी जमीन नापी जायगी। इसलिए मैं रेवेन्यू मिनिस्टर का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जमीन जहां भी एक्वायर करनी हो वहां पब्लिकेशन ग्राम पंचायतों के जरिये होनी चाहिये। उसमें यह लिखा रहना चाहिए कि अमुक प्लौट नंबर अमुक खाता आदि, जिससे आपके ऑफिसरों की धांधली रुक सके। साथ-ही में

यह भी कहना चाहता हूं कि जिनकी जमीन ली जाय उनको ऑल्टरनेशन करने का भी प्रोविजन होना चाहिए और पेमेंट जल्द-से जल्द करने का प्रोविजन होना चाहिए। इतना ही कह कर मैं श्री रामाशीश सिंह के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामानन्द सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो सुझाव देना चाहता हूं। पहला यह कि लैंड एक्वीजीशन जो बांध और नाला आदि बनाने के लिए होता है उसके साथ बांध और नाले पर मिट्टी देने के लिए जो बगल की जमीन से मिट्टी काटी जाती है उसका कम्पेन्सेशन नहीं देते हैं सिर्फ क्रौप कम्पेन्सेशन देते हैं। मिट्टी काट लेने से जमीन खराब हो जाती है, फसल बोने के योग्य नहीं रहती है। इसलिए जब आप बांध आदि के ऊपर मिट्टी चढ़ाने के लिए किसी की जमीन से मिट्टी काटें तो उसको भी कम्पेन्सेशन दें। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं कि सीतामढ़ी में जो बांध बना और उसके लिए बगल की जमीन से जो मिट्टी काटी गयी उसका क्रौप कम्पेन्सेशन दिया गया और जमीन का कम्पेन्सेशन नहीं दिया गया।

दूसरी चीज यह है कि जो कम्पेन्सेशन दिया जाता है वह बहुत देर में मिलता है। इरिगेशन डिपार्टमेंट को चाहिए कि जहां की जमीन एक्वायर हो वहां के लोगों को कम्पेन्सेशन देने के लिए एक डिपुटी कलक्टर का प्रबन्ध करे। अपने बेनीफिसियरी से टैक्स वसूलने के लिए डिपुटी कलक्टर को तो रखा है लेकिन उनको कम्पेन्सेशन देने के लिए नहीं रखा है तो उसको यह भी अधिकार सरकार की ओर से मिलना चाहिए कि जिनकी जमीन एक्वायर हो उनको कम्पेन्सेशन देने का फैसला भी वही ऑफिसर करे। ताकि लोगों को कम्पेन्सेशन जल्दी मिल जाय। आपने टैक्स वसूल करने के लिए ऐसी व्यवस्था की है कि जहां बांध आदि से लोगों को फायदा हो वहां सर्टिफिकेट के जरिये लोगों से टैक्स वसूल किया जाय तो आपको यह भी व्यवस्था करनी चाहिये कि लैंड एक्वीजीशन जहां हों वहां लोगों को पेमेंट भी तुरत हो जाय। इसलिए मेरा सुझाव है कि डिपुटी कलक्टर को दोनों ही पावर दिया जाय कि वह टैक्स भी वसूल करे और जिनकी जमीन एक्वायर हो उनको कम्पेन्सेशन भी दे।

श्री देवेन्द्र झा—माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री रामाशीश सिंह का जो प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करता हूं और उसके समर्थन में चन्द बातें पेश करना चाहता हूं। आज लैंड एक्वीजीशन डिपार्टमेंट की जरूरत जितनी बढ़ती जा रही है वह पहले नहीं क्योंकि नेशन बिल्डिंग का काम, राष्ट्रीय-निर्माण का काम, बहुत हो रहा है। तरह-तरह की स्कीम, नाला और बांध स्कीम, बन रही हैं और जैसे-जैसे नेशन बिल्डिंग का काम बढ़ता जा रहा है जमीन की जरूरत बढ़ती जा रही है। वहां की जनता जो एफेक्टेड हैं उनपर उसका असर पड़ता है। रेवेन्यू मिनिस्टर ने जो संशोधन लाया है वह इसलिए कि जिनकी जमीन लेते हैं वे कोर्ट में जाकर मोकदमा करते हैं और बड़े-बड़े वकीलों का सामना करना पड़ता है और वे मोकदमा हार जाते हैं लेकिन जनता को जो तकलीफ होती है उसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह बिल परिचारित किया जाय। मैं कहना चाहता हूं कि जमीन उन्हीं लोगों की एक्वायर की जाय जिनके पास अधिक जमीन हो। इस कानून के चलते दो-दो चार-चार बिगहा जमीन वालों की सारी जमीन एक्वायर हो जाती है जिससे गरीब किसानों को दर-दर भटकना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिनके पास कम जमीन हो उनकी जमीन एक्वायर नहीं की जाय, इस तरह की गुंजाइश बिल में होनी चाहिए।

ऐसी हालत में इस बिल में इसकी काफी गुंजाइश होनी चाहिये कि जो छोटे-छोटे किसान हैं जिनके पास कम जमीन हैं अगर उनकी जमीन ली जाती है तो उन्हें पहले कम्पेन्सेशन मिल जाना चाहिये और तब उनकी जमीन एक्वायर की जाय। इससे उन्हें संतोष होगा। ऐसा नहीं करने से जो आज के किसान हैं वे कल मजदूर हो जाते हैं उनके पास खाने के लिये कोई उपाय नहीं रहता है, जीवन-निर्वाह का कोई जरिया नहीं रह जाता है। इसलिये मैं कहूंगा जो कम जमीन जोतते हैं उनको पेमेन्ट पहले हो जाय तब उनकी जमीन ली जाय। जमीन लेने के पहले जमीन वाले से राय ले लेनी चाहिये। कानूनगो लैंड का भैलुयेशन करते हैं। इस कानून में यह प्रोविजन है कि इसके लिये वे जज के यहाँ अपील कर सकते हैं लेकिन मैं कहूंगा कि जो गरीब हैं जिनके पास कम जमीन है वे इतना पैसा कहाँ से लायेंगे कि जज के यहाँ अपील करेंगे। आप लोग इसे अच्छी तरह जानते हैं कि न्याय सबको नहीं मिलता है। न्याय उन्हींको मिलता है जिनके पास पैसा है। गंडक योजना अभी स्वीकृत हुई है। यह बहुत बड़ी योजना है। इसमें बहुत जमीन ली जायगी। इससे सिर्फ उत्तर बिहार को ही फायदा होनेवाला है। अगर इस तरह का कानून आप बनाते हैं तो नतीजा क्या होगा? नतीजा यह होगा कि यह स्कीम उतनी जल्दी नहीं हो सकेगी और शीघ्र फायदा लोगों को नहीं पहुँच पायेगा। इसके कार्यन्विति में भी पग-पग पर कठिनाई होगी। लोग काम नहीं होने देंगे, सरकारी ऑफिसरों को काम करने से रोकेंगे, इसलिय यह अच्छा होगा कि छोटे-छोटे किसानों को पहले ही मुआवजा दे दिया जाय। आपका लैंड ऐक्वीजीशन डिपार्टमेंट कितना सुस्त है इसका भी एक उदाहरण मैं रख देना चाहता हूँ। अधवारा योजना बनी लेकिन लोगों को मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया; एक बार सरकारी आदेश हुआ था कि जिन लोगों के पास कर्ज बाकी है वे दे दें तो सूद माफ हो जायगा लेकिन पुपरी थाने के आवापुर, गंगटी, मानीकपुर, गाढा, बेदील, रामनगर, कुशैल, हरदिया, केशोपुर, रामपुर पचासी, सम्हौली आदि गाँवों के लोग बी० डी० ओ०, पुपरी के यहाँ लिखकर दिया कि उनका कर्ज का रुपया मुआवजे के रुपये में मोजर किया लेकिन वह आजतक नहीं हो सका।

श्री विनोदानन्द झा—अध्यक्ष महोदय मैं सबसे पहले उन सदस्यों का आभारी हूँ

जिन्होंने कुछ ठोस सुझाव दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य बहुत सीमित है। इस सलिसिले में जितनी शिकायतें हुई हैं उनमें अधिकांशतः कम्पेन्सेशन पर, पेमेन्ट पर दरखास्त देने और दरखास्त के डिस्पोजल के सम्बन्ध में कहा गया है। इस सम्बन्ध में मैं यही कहूँगा कि यदि यह विधेयक नामंजूर भी हो जाय तो भी यह शिकायत रहेगी ही क्योंकि इसके संबंध में इससे कोई व्यवस्था नहीं है। मेहताजी ने कहा है कि इस विषय में जो नोटिफिकेशन होता है उसको लोग जान भी नहीं पाते हैं। इस त्रुटि को दूर करने के लिये सेक्शन ३ में प्रोभाइड किया गया है। इसके मुताबिक नोटिफिकेशन की कापी कलक्टर, एस० डी० ओ० और ग्राम पंचायत के ऑफिस में भी ऐडिशनल नोटिफिकेशन छपेगी। गजट के अलावे इन जगहों में छपा रहेगा। इसलिये जो समालोचना की गयी है उसको मद्देनजर रखते हुए समिति विचार करेगी। प्रवर समिति के सामने मैं इस बात की तफसील रखूंगा कि इस राज्य में कहाँ-कहाँ किस तरह लैंड ऐक्वीजीशन का काम चल रहा है। इस बात की शिकायत की गयी है कि मुआवजा मिलने में देर होती है इसके विषय में भी मैं समिति के समक्ष आंकड़े रखूंगा। जहाँ पब्लिक ओपीनियन जानने की बात है मैं समझता हूँ कि सभा इस पक्ष में नहीं है। सभी चीजों को मैं यदि पब्लिक ओपीनियन के लिये दूं तो काम सुचारु रूप से नहीं चल सकता। कोई बड़े महत्त्व का विषय हो या कोई बड़े प्रिन्सिपुल की बात हो तो अवश्य ही आपको अधिकार

है कि पब्लिक श्रोपीनियन के लिये भेजें। लेकिन इस अधिकार को हर विधेयक के सम्बन्ध में लागू करना उचित नहीं होगा। आजकल बड़े पैमाने पर ऐक्वीजीशन का काम करना पड़ता है और इंडस्ट्रीयल एक्सपैंशन लेकर हजारों और लाखों एकड़ जमीन एक्वायर करना पड़ता है। ये सारी चीजें टेकनिकल एक्सपर्ट की राय से ही की जा सकती है इसमें कानूनगो की राय से चलना संभव नहीं होगा। हमारे मित्र ने कहा कि उसका फैसला लैंड ऐक्वीजिशन डिपार्टमेंट में होना चाहिये अगर अपील के रिवीजन पर किसी खास प्लाट से किसी आदमी को एतराज हो इससे बढ़कर अन्याय की बात किसी स्कीम के साथ और कोई नहीं हो सकती है। अभा मामला कलक्टर के पास है, उसके बाद कमिश्नर के पास जायगा, लैंड ऐक्वीजीशन में जो प्रोसिडियोर है वह होगा लेकिन इसमें रेलवे लाइन की बात है। कहाँ लाइन बिछेगी, कहाँ रोड बनेगी। लैंड ऐक्वीजीशन के कानूनगो या ऑफिसर इसमें क्या फैसला करेंगे? उनके फैसले के मुताबिक पाइप लाइन कैसे घूम जायगी या उनके फैसले से बांध या इरीगेशन चैनल कैसे बन जायगा? वहाँ तो वैलुएशन की बात है, वहाँ रेगुलेशन के मुताबिक काम होता है या नहीं, जल्दी दाम मिलता है या नहीं किसानों को सहुलियत मिलती है या नहीं, यही देखना है। उसके भीतर जो किसान हैं उनको तो समाज के लिये जमीन देना ही है। मगर रही बात एसेन्शीयल चीजों की जैसे पूरी कीमत को देना और जल्दी देना। ये सब बात वहाँ देखना है लेकिन रेट ऑफ कंपेन्सेशन में हमको हाथ नहीं डालना है। वह जहाँ है वहीं रहेगा। तो इसमें मैं सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि प्रवर समिति के जो सदस्य रहेंगे वह जो इनफौर्मेशन चाहेंगे हम देंगे और वह चाहते हैं कि समूचे स्टेट में क्या लैंड ऐक्वीजीशन की व्यवस्था है, कितना रुपया दिया जा चुका है और कितना बाकी है इसके लिये एक घंटे, दो घंटे, की जो जरुरत होगी वह हम देंगे और यह इनफौर्मेशन उनको मिल जायेगा तो इससे भी उनको लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि माननीय सदस्य अपना संशोधन उठा लें।

श्री रामाशीश सिंह—अध्यक्ष महोदय मैं मंत्री महोदय की बहुत-सी बातों का जवाब में सुनकर संतुष्ट हूँ लेकिन मुझको इस बात का जवाब नहीं मिला कि गवर्नमेंट को जमीन एक्वायर करने में जो कठिनाई हो रही है इसके लिये तो सरकार सदन में बिल लायी है लेकिन जनता को कीमत मिलने में जो कठिनाई हो रही है उसके लिये इस बिल में कोई प्रोव्हिजन नहीं है। बिल तो रोज-रोज आता नहीं है, कानून रोज-रोज बनता नहीं है। जब एक बार सदन में बिल उपस्थित किया गया तो यह चाहिये था कि जमीन की कीमत मिलने के लिये भी जमीन लेने के साथ प्रोवीजन कर दिया जाता। लेकिन इस तरह का प्रोवीजन नहीं है। इसलिये जो मेरा प्रस्ताव जनमत जानने के विषय में है उसको मैं नहीं उठा सकता। पब्लिक के पास यदि यह बिल जाता तो वे अपना सुझाव दे सकते थे इस सम्बन्ध में। यही कारण है कि मैं इस प्रस्ताव को नहीं उठा रहा हूं।

अध्यक्ष—मूल प्रश्न यह था कि लैंड ऐक्वीजीशन (बिहार अमेंडमेंट) बिल, १९५९ एक प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन तिथि ३१ मार्च १९६० तक दे। उसके बाद यह संशोधन पेश हुआ कि उक्त विधेयक तिथि १५ जुलाई १९६० तक जनमत जानने के लिये परिचारित हो। अतः प्रश्न यह है कि लैंड ऐक्वीजिशन (बिहार अमेंडमेंट) बिल, १९५९ तिथि १५ जुलाई १९६० तक जनमत जानने के लिये परिचारित्त हो।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष—अब प्रश्न यह है कि लैंड ऐक्वीजीशन (विहार अमेंडमेंट) बिल, १९५९ एक प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाये कि वह अपना प्रतिवेदन तिथि ३१ मार्च १९६० तक दे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विनोदानन्द झा—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जिस प्रवर समिति को बिहार लैंड ऐक्वीजीशन बिल, १९५८ सौंपा गया है उसके ये सदस्य हों:—

१। श्री महावीर चौधरी,
२। श्री यदुनन्दन तिवारी,
३। श्री रंगबहादुर प्रसाद,
४। श्रीमती पारवती देवी चम्पारण,
५। श्री यमुना प्रसाद त्रिपाठी,
६। श्री जागेश्वर हजरा,
७। श्री जनार्दन सिंह,
८। श्री महेशकान्त शर्मा,
९। श्री चंद्र राम,
१०। श्रीमती विन्ध्यावासिनी देवी,
११। श्री चन्द्रशेखर सिंह,
१२। श्री गंगानाथ मिश्र,
१३। श्री हरिचरण सोय,
१४। श्री बेन्जामिन हंसदा,
१५। श्री महेन्द्र महतो,
१६। श्री देवीलाल जी,
१७। श्री नन्द किशोर प्रसाद सिंह, एवं
१८। श्री विनोदानन्द झा (प्रस्तावक)।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि—

जिस प्रवर समिति को बिहार लैंड ऐक्वीजीशन (अमेंडमेंट) बिल, १९५८ सौंपा गया है उसके ये सदस्य हों:—

१। श्री विनोदानंद झा,
२। श्री महावीर चौधरी,
३। श्री यदुनंदन तिवारी,
४। श्री रंगबहादुर प्रसाद,
५। श्रीमती पार्वती देवी, चंपारण,

६। श्री यमुना प्रसाद त्रिपाठी,
७। श्री जागेश्वर हजरा,
८। श्री जनार्दन सिंह,
९। श्री महेशकान्त शर्मा,
१०। श्री चंदु राम,
११। श्रीमती विन्ध्यावासिनी देवी,
१२। श्री चन्द्रशेखर सिंह,
१३। श्री गंगानाथ मिश्र,
१४। श्री हरिचरण सोय,
१५। श्री बेन्जामिन हंसदा,
१६। श्री महेन्द्र महतो,
१७। श्री देवीलाल ।
१८। श्री नंद किशोर प्रसाद सिंह।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष—श्री विनोदानंद झा इस प्रवर समिति के सभापति होंगे।

दरभंगा संस्कृत युनिवर्सिटी बिल, १९५८ (१९५८ की वि० सं ४१)।

The Darbhanga Sanskrit University Bill, 1958 (L. A. Bill no. 42 1958.)

कुमार गंगानंद सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित दरभंगा संस्कृत युनिवर्सिटी बिल, १९५८ पर विचार हो।

इस समय इस बिल के संबंध में मैं कुछ कह कर सदन का समय नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि प्रवर समिति का प्रतिवेदन सदस्यों के बीच वितरित हो चुका है और जो-जो परिवर्त्तन मूल विधेयक में किया गया है उसका स्पष्टीकरण कर दिया गया है। अगर आवश्यकता होगी तो माननीय सदस्यों की राय जानने के बाद में अपना विचार व्यक्त करूंगा।

*श्री बद्री सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित दरभंगा संस्कृत युनिवर्सिटी बिल, १९५८ तिथि ३० दिसम्बर, १९६० तक जनमत जानने के लिये परिचारित हो।

दरभंगा संस्कृत युनिवर्सिटी बिल, १९५८ जब सदन के सामने उपस्थित किया गया तो उसे एक संयुक्त प्रवर समिति में इसलिये भेजा गया था जिसमें इस बिल में जो त्रुटि हो उनको दूर कर एक परिपूर्ण बिल सदन के सामने प्रस्तुत हो जिसमें यह एक शुद्ध और प्रभावशाली बिल बन जाय। लेकिन संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट को देखने से मुझे बड़ी निराशा हुई। बिल को संयुक्त प्रवर समिति में सौंपने के वक्त मुझे इसकी बड़ी आशा थी कि सरकार ने इस स्टेट में संस्कृत भाषा के विकास के लिये एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और इसको पूरा करने के लिये जो भी प्रयास होना चाहिये वह होगा। प्रवर समिति से भी यही आशा थी कि सही माने में संस्कृत भाषा और साहित्य के विकास के लिये तथा उसके अध्ययन तथा अध्यापन के लिये और भी कोशिश करेगी और ऐसी व्यवस्था करेगी जिसमें इसको संपादित करने में किसी तरह की